भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2420
दिनांक 06 अगस्त, 2024/ 15 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क

†2420. डॉ. विनोद कुमार बिंदः

श्री महेंद्र सिंह सोलंकीः

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कार्यरत महिला सहायता डेस्क की संख्या कितनी है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2019-24 के दौरान महिला सहायता डेस्क के माध्यम से पंजीकृत एफआईआर की संख्या कितनी है;

(ग) वित्तीय वर्ष 2019-24 के दौरान घरेलू घटना रिपोर्टों (डीआईआर) की संख्या कितनी है;

(घ) क्या महिला सहायता डेस्क द्वारा यौन अपराधियों संबंधी राष्ट्रीय डेटाबेस का उपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग) : पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों में कुल 14,658 महिला सहायता डेस्क स्थापित किए गए हैं। महिला सहायता डेस्क की स्थापना देश में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के क़दमों को मजबूत करने के प्रयासों में सहयोग करने तथा पुलिस स्टेशनों को महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल और पहुंच योग्य बनाने, जिसमे की पीड़ितों को एफआईआर दर्ज करने में सहायता देना शामिल है, के उद्देश्य से की गई है।

<u>लोक सभा अता. प्र.सं. 2420 दिनांक 06.08.2024</u>

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किये गये अपराधों पर सांख्यिकीय डेटा को संकलित करता है व उसे अपने प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है। महिला सहायता डेस्क के माध्यम से दर्ज की गई एफआईआर की संख्या और घरेलू घटना रिपोर्ट (डीआईआरएस) की संख्या पर डेटा अलग से नहीं रखा जाता है। हालाँकि, वर्ष 2019-2022 के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए दर्ज मामलों (सीआर) की कुल संख्या इस प्रकार हैः-

वर्ष	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
दर्ज मामलें	405326	371503	428278	445256

(घ) और (ङ) : गृह मंत्रालय ने महिला सहायता डेस्क के पुलिस अधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों के उपयोग के लिए "यौन अपराधियों संबंधी राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ)" लॉन्च किया है ताकि बार-बार अपराध करने वालों की पहचान की जा सके, यौन अपराधियों पर अलर्ट प्राप्त किया जा सके और शैक्षणिक संस्थानों, होटलों आदि जैसे संवेदनशील इलाकों में कर्मचारियों के पूर्ववृत्त तथा चरित्र सत्यापन के लिए इसका उपयोग किया जा सके।

****